



श्री अणिलेश यादव, मन्त्री, उत्तर प्रदेश



# समाजवादी आवास योजना पूरा करें अपने घर का सपना

प्रदेश सरकार देगी सामान्य नागरिकों को सस्ते घर का उपहार

**पंजीकरण**  
02 मई 2015 से  
02 जून 2015  
तक

**भागीरथी एक्वलेव**  
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या -11, मेरठ

**पंजीकरण**  
पुस्तिका  
2015



**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**  
**U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD**

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001

Website : <http://www.uptvp.com>, E-mail: [uptvp@sanchamnet.in](mailto:uptvp@sanchamnet.in)



# भागीरथी एन्क्लेव

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या -II, मेरठ

## के विशेष आकर्षण

- जागृति विहार (विस्तार) योजना, मेरठ में
- भागीरथी एन्क्लेव में
- स्व वित्त पोषित
- फ्लैट्स का पंजीकरण
- ऑन लाइन पंजीकरण के लिये [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर लॉग ऑन करें।

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी आरम्भ की गयी।
- मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयी जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार, मेरठ की पॉश कालोनियों में हैं।
- कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियों सृजित कर आवंटित की गयी।
- मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लेक्स पीएवीएसए मॉल शास्त्री नगर योजना में।
- परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा।
- परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि०, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, वाणिज्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
- परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कंपनियों के कार्यालय।
- प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुई।
- योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियाँ आदि का कार्य पूर्ण तथा पूर्व पंजीकरण के विरुद्ध 624 नग फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में।
- लाला लाजपत राम मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
- चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
- प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।
- रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित।

## एक परिचय

# 30 प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

### उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शॉपिंग कम्प्लेक्स तथा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वित्तीय संस्थाओं से वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सकें।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है। परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशान के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।



# Jagrati Vihar Yojna, Meerut

## Legend

- Entry/Exit
- Landscaped Green
- Surface Parking
- Commercial Sopping Complex
- Are of Future Planning



## Layout Plan of Sector - 3 & 4 Enclave

## F-32 Type Flat

1 BHK, 1 BATH, 1 W.C., 1 BAL  
Built Up Area of Each Unit = 28.03 sq. m. (301.60 sq. ft.)  
Balcony Area of each unit = 2.09 sq. m. (22.49 sq. ft.)  
Circulation Area of each unit = 2.83 sq. m. (30.45 sq. ft.)  
Super Area of each unit = 32.95 sq. m. (354.54 sq. ft.)



CLUSTER PLAN

# Cluster Plan

# F-32 Unit Flat

2 Rooms, 1 Bath, 1 W.C., 1 Bal., 1 Kitchen  
Built Up Area = 28.03 sq. m. (301.60 sq. ft.)  
Balcony Area = 2.09 sq. m. (22.49 sq. ft.)  
Circulation Area = 2.83 sq. m. (30.45 sq. ft.)  
Super Area = 32.95 sq. m. (354.54 sq. ft.)



# Unit Flat

## F-57 Cluster Plan


2 BHK, 2 Toi, 1 Bal  
Built Up Area of Each Unit = 51.21 Sq. m. (551.22 sq. ft.)  
Balcony Area of each unit = 2.95 Sq. m. (31.75 sq. ft.)  
Circulation Area of each unit = 3.68 Sq. m. (39.61 sq. ft.)  
Super Area of each unit = 57.84 Sq. m. (622.589 Sq. ft.)



## Cluster Plan

## F-57 Unit Plan

2 BHK, 2 Toi, 1 Bal  
Built Up Area of Each Unit = 51.21 Sq. m. (551.22 sq. ft.)  
Balcony Area of each unit = 2.95 Sq. m. (31.75 sq. ft.)  
Circulation Area of each unit = 3.68 Sq. m. (39.61 sq. ft.)  
Super Area of each unit = 57.84 Sq. m. (622.589 Sq. ft.)



# Unit Plan



## F-64 Cluster Plan

2 BHK, 2 TOI, 2 BAL  
Built Up Area of Each unit = 57.97 sq. m. (623.76 sq. ft.)  
Balcony Area of Each unit = 3.92 sq. m. (42.18 sq. ft.)  
Circulation Area of each unit = 2.35 sq.m. (25.28 sq.ft.)  
Super Area of Each unit = 64.24 sq. m. (691.22 sq.ft.)



CLUSTER PLAN

# Cluster Plan

## F-64 Unit Plan

2 BHK, 2 TOI, 2 BAL  
Built Up Area of Each unit = 57.97 sq. m. (623.76 sq. ft.)  
Balcony Area of Each unit = 3.92 sq. m. (42.18 sq. ft.)  
Circulation Area of each unit = 2.35 sq.m. (25.29 sq.ft.)  
Super Area of Each unit = 64.24 sq. m. (691.22 sq.ft.)



## Unit Flat

## परियोजना का विवरण

उत्प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में अफोडेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना-2016" के अधीन "भागीरथी एन्क्लेव" के नाम से (G+3) चार मंजिली आवासीय परियोजना में 1BHK एवं 2 BHK के कुल 1564 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट्स का विवरण निम्नवत् है -

### फ्लैट्स का विवरण

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	आवृद्धित क्षेत्रफल (वर्गमी0)	सुपर एरिया (वर्गमी0)	प्राविधान
<b>अरावली टॉवर</b>				
1.	F-32 01 BHK	30.12	32.85	लिविंग रूम, 1 बेडरूम, किचन, 1 बालकनी, 1 WC, 1 बॉथ
<b>नीलगिरी टॉवर</b>				
2.	F-57 02 BHK	54.16	57.84	लिविंग रूम, 2 बेडरूम, ओपन किचन, बालकनी, 2 टायलेट
<b>शिवालिक टॉवर</b>				
3.	F-64 02 BHK	61.89	64.24	लिविंग रूम, 2 बेडरूम, किचन, 2 बालकनी, 2 टायलेट्स

## उपलब्ध फ्लैटों का विवरण -

स्व: वित्त पोषित योजना के अंतर्गत भवनों का पर्यवेक्षण

क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	सम्पत्ति कोड	फ्लैट्स की संख्या	फ्लैट्स का तल	फ्लैट्स की तलवार अनुमानित लागत (₹ लाख में)	सुपर एरिया (वर्ग मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	चपनों की संख्या	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित अनुमानित लागत (₹ लाख में)	पंजीकरण अनुमानित (लाख में) 5 प्रतिशत	चपन के पक्का मांग पत्र निर्गत करने के अन्दर में बनवाये (₹ लाख में) 10 प्रतिशत	विभागीय किर्तों की संख्या	अवरोध मुक्तान 11 दिनांक किर्तों में (प्रत्येक किर्त की लागत ₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	F-32	F-1	स्व: वित्त पोषित	पूरा प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल	9.25 8.54 8.46 8.26	82.95	80.12	768	8.26	0.42	84500.00	11	64500.00
2	F-57	F-2	स्व: वित्त पोषित	पूरा प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल	18.44 16.38 15.82 16.66	37.84	54.16	482	16.66	0.84	166800.00	11	128700.00
3	F-64	F-3	स्व: वित्त पोषित	पूरा प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल	21.28 19.56 19.27 19.19	64.24	61.89	334	19.19	0.96	197700.00	11	148300.00

नोट :- भवन का प्रस्तावित विक्रय मूल्य उपरोक्तानुसार दर्शाये गये तृतीय तल/मानक सुपर क्षेत्रफल के अनुसार लिया गया है। अन्य तलों पर भूमि के मूल्य के अनुपातिक विभाजन के कारण अतिरिक्त मूल्य देय होगा। भवन के कुल मूल्य पर नियमानुसार सेवाकर अलग से देय होगा।

### फ्लैट्स की विशेषताएँ

#### 1. फ्लैट F-32

आसपास की स्ट्रक्चर: भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श: सी0सी0 फ्लोर, टॉयलेट एवं बॉथ: फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट: एंगिल ऑयरन, दरवाजे: फलश डोर शटर्स, खिडकियाँ: ग्रिल, किचन: कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ौदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन: कलर वॉश, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वॉटर प्रूफ सीमेन्ट पेन्ट, विद्युत: अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति: सभी फ्लैट हेतु छत पर पी0वी0सी0 टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

#### 2. फ्लैट F-57

आसपास की स्ट्रक्चर: भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श: विट्रीफाईड फ्लोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ: फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट: एंगिल ऑयरन, दरवाजे: फलश डोर शटर्स, खिडकियाँ: ग्रिल, किचन: कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ौदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन: डिस्टेम्पिंग, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वेदर कोट पेन्ट, विद्युत: अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति: सभी फ्लैट हेतु छत पर पी0वी0सी0 टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

### 9. फ्लैट F-84

आसानी से स्ट्रक्चर : भूकम्परोधी स्ट्रक्चर, फर्श : विट्रीफाईड फ्लोर टाइल्स, टॉयलेट एवं बॉथ : फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स, चौखट : एंगिल ऑयसन, दरवाजे : फलश डोर शटर्स, चिड़कियाँ : ग्रिल, किचन : कुकिंग प्लेटफार्म पर बड़ौदा ग्रीन स्टोन स्लैब, दो फुट ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स की फिनिशिंग, रंग-रोगन : डिस्टेम्पिंग, दरवाजे पर एनेमल पेन्ट व बाहरी सतह पर वेदर कोट पेन्ट, विद्युत : अग्निरोधक कॉपर वायरिंग, जलापूर्ति : सभी फ्लैट हेतु छत पर पीवीसी टैंक का प्राविधान किया जायेगा।

### प्राविधान/शर्तें :

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 36 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा – भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने आदि पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों की टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
3. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कॉर्पस फण्ड" में फ्लैट के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। इन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉर्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति को अनुरक्षण अपने स्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
4. परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरांत "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
5. सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपरेशन, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सेक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेंटर की देखरेख, सफाई, विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त तिथि से दो वर्ष तक रु. 10.00 प्रति वर्ग मी० (सुपर एरिया) की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद/सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।
6. परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक मल्टीपरमज हाल/कम्युनिटी सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
7. राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानित विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय के साथ-साथ एवं भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

### 3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

### 4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाट्री ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड वाउचर पर आवेदन परिसर के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय ऑफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड वाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ परिषद के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय ऑफिस काम्पलेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।



- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8. इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

### **8. भुगतान का तरीका**

#### **(3 वर्षों में त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)**

1. भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
2. फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाट्री से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
3. मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
5. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त/कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटि को करना होगा।
6. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चैक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद"/"UPAVP" के नाम जो मेरठ में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या/चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।

### **8. आवंटन नियम:**

- 8.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।



- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाट्री के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाट्री द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाट्री पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार पर फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाट्री में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटनी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन सक्षम स्तर द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण परिषद सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, मेरठ से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

### **7. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी**

- 7.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते से वापस कर दी जायेगी।

### **8. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा**

- 8.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 36 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 8.2 आवंटनी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

8.3 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू०-50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

### 9. तथ्यों का ठिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

### 10. अत्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

10.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमत्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।

10.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।

10.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण / फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अमिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमत्य होगा।

10.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।

10.5 पुस्तिका में अस्मावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।

10.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

10.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र मेरठ होगा।

10.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

## 7. आरक्षण

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त विद्यार्थी तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	उपरोक्त सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित जातियों ही पात्र होंगी। पंजीकरण पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	तवेव
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	तवेव
4.	गांव विधायक/गांव सांसद/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।	5	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
6.	उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप से उपलब्ध कराये।। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अविश्रान के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सैनिक, मृतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर उपलब्ध कराये।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया-प्रति संलग्न करना है।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन-पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा यथा निर्धारित उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाणपत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की अनुराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यूएस, बालर, पोण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, रिव, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवेदन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन-पत्र के पंजीकरण जमा अनुराशि के विदेश मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना है।

नोट :-उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाट्री में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे।

**भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :-**

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु आरक्षित अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

## आवेदन -पत्र भरने के लिये निर्देश

1. आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बॉल प्वाइन्ट पेन से भरा जायेगा।
2. आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदक केवल अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5. आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र एवं एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आवे। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
6. एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर एवं अंक) लिखें।
7. नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान/ब्लाक छोड़ा जाये।
8. आवेदन पत्र में बिन्दु-8 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु "M" एवं महिला हेतु "F" भरें।
9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण में से F-32, F-57, F-64 को भरना होगा। एक से अधिक सम्पत्ति श्रेणी में आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखें उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिये कोड की सूची (आरक्षण कोड)	
आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
<b>हारिजेन्टल आरक्षण कोड</b>	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उपग्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, मृतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक	O
हारिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा	

11. कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण-पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
12. बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर को लेखा शीर्षक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एस०एफ०एस०, आवासीय योजना 2015 (UPAVPSFS HOUSING SCHEME-2015) जो मेरठ में देय होगा।
13. संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-13 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानीपूर्वक अंकित कर प्रार्थना-पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
14. पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउन्ट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के भुगतान में विलम्ब हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटि रहित करें। उक्त प्रविष्टि को ध्यान पूर्वक करें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पायें अतः आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते का एक निरस्त चेक आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना अत्यन्त सुविधाजनक रहेगा।
15. आवेदन-पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाये।
16. अपूर्ण आवेदन-पत्र/आवेदन पत्रों में कटिंग किये हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
17. परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें।
18. आवेदन-पत्र जमा करते समय आवेदन-पत्र की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु संदर्भ रहे।
19. आवेदन-पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान-पत्र (वोटर आई०डी०, डी०एल०, पासपोर्ट आदि) की फोटोप्रति संलग्न करना होगा।
20. तालिका में दर्शाये गये फ्लैट्स की संख्या घट बढ़ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

## मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

### आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

### आय :-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

### भूखण्ड/भवन :-

भवन या मकान शब्द में "फ्लैट" से है।

### सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन "फ्लैट अथवा भूखण्ड" से है।

### विदेशी मुद्रा :-

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टर्लिंग पौंड, यू.एस. डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस् फ्रैंक और दीनार से है।

### चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन-पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण-पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

### पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

### सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उपरोक्त राज्य की सेवा में तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

### विस्थापित व्यक्ति :-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गयी हो।

**स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-**

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या जिसने वीरगति प्राप्त की हो।
- (2) जो पेशावर काण्ड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

**सुरक्षा सैनिक से तात्पर्य :-**

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति :-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है। अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य 1950 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1954) अधिनियम संख्या-4 सन् 1974 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

**जोखीम तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :-**

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

**परिषद् कर्मचारी का तात्पर्य :-**

परिषद् नियमित अधीष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है। जिनकी न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण हो।

**परिषद् का तात्पर्य :-**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।

**विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/जगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :-**

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधीष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

₹10/- के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष  
उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद

**शपथ-पत्र**

समक्ष : आवास आयुक्त, उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी..... उम्र..... वर्ष  
निवासी..... शपथ

पूर्वक बयान करता/करती हूँ:-

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उपरोक्त के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन आवंटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद को दूंगा/दूंगी।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2014-15 (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) में समस्त स्रोतों से मेरी आय कुल आय वार्षिक (₹0.....)थी। जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती..... जो रिश्ते में मेरे/मेरी..... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरण की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती..... जो मेरे/मेरी..... हैं एवं खून के सम्बन्धी है। को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
6. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझे, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

**घोषणा**

मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर



**भागीरथी एन्वलेव**  
**जामृति विहार (विस्तार) योजना संख्या -11, मेरठ में**  
**समानवादी आवास योजना**  
 के अन्तर्गत बैंकों की शाखाओं के नाम व पते  
 जहाँ पर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र  
 तथा पंजीकरण धनराशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

क्रमांक	पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने का स्थान	सूचना नं०
1.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, बी-ब्लॉक, शास्त्रीनगर, मेरठ (नोडल शाखा)	0121-2767632
2.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, मैसाली रोडवेज बस अड्डे के सामने, मेरठ	0121-2861536
3.	पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर-2, शास्त्री नगर, मेरठ (नोडल शाखा)	0121-2770489, 2769706
4.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गढ़ रोड, मेरठ	0121-2762439-2763766
5.	इलाहाबाद बैंक, ई-ब्लॉक, शास्त्रीनगर, मेरठ (नोडल शाखा)	0121-2760447
6.	इलाहाबाद बैंक, सेक्टर-15, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद	0120-2682472-2682630
7.	इलाहाबाद बैंक, 17 पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली	011-23361246-23361062

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका प्रसार अनुमान, उज्ज्वल आवास एवं विकास परिषद,  
 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

**महत्वपूर्ण नोट :-**

- पंजीकरण हेतु उपरोक्त स्थानों से अधिकारिक रूप से पुस्तिका क्रय कर सकते हैं।
- स्व वित्त पोषित योजना 2015 के पंजीकरण का कार्य एवं पंजीकरण आवेदन-पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य केवल उपरोक्त लिखित बैंक से किया जायेगा।
- (अ) डाक द्वारा पंजीकरण मांगने हेतु पंजीकरण पुस्तिका मूल्य 300.00 (286.00+14.00 वैट) तथा डाक व्यय ₹50/- प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
- (ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिए बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होंगे।
- बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर "उज्ज्वल आवास एवं विकास परिषद पंजीकरण 2015" के नाम से मेरठ पर देय होगा।

## जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ में प्रस्तावित "मागीरथी एन्क्लेव" में विभिन्न प्रकार के फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Step) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :-

### प्रथम चरण (Step-1)

आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- ऑन लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक द्वारा सर्वप्रथम परिवर्ध वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration for flat पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक के लिए "मागीरथी" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़ कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन के संबंध में मुख्य जानकारी (Basic Information) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण ऑन लाइन फीड किये जायेगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के पश्चात आवेदक द्वारा "Submit" बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Confirm" करने की दशा में उसे अपने ऑन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर लिंक "Print" पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) क प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घंटे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ Visit Website [www.upavp.com](http://www.upavp.com) & click on link "Online Registration of Flats"
- ✓ Click on link "Registration Fee payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment of category as "Registration" and provide Registration ID, then click on "Submit" button.
- ✓ Provide the required necessary details & click "Submit".
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State bank MOPS' will be available.
- ✓ Application can close anyone option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State bank Collect Reference No./Transaction No. प्रदान किया जायेगा।  
(नोट :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "UPAVP SFS HOUSING SCHEME-2015" के पक्ष में जोकि लखनऊ शहर में देय होना चाहिये) MOPS-Multi Option Payment System

### द्वितीय चरण (Step-2)

अंतिम रूप से ऑन लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घंटे पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के लिंक "Online Registration for flats" पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक "Submit Application Details" पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईपीटी, पासवर्ड एवं Journal No./Reference No./Transaction ID भरकर अपना ऑन लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताखर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना ऑन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए "Submit" करना होगा।
- ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईपीटी प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

#### “सम्पत्ति प्रबन्धक”

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,  
उपग्रह आवास एवं विकास परिषद,  
ऑफिस ग्राउन्डलेव, शास्त्री नगर,  
मेरठ (उपग्रह -250004)

#### कठिनाई की स्थिति में सम्पर्क करें :-

<b>श्री विद्यम्बर सिंह</b> अधिराशी अनियन्ता निर्माण खण्ड-6, मेरठ। मो० सं० 8795810028	<b>श्री उर्मिल कुमार गुप्ता</b> निर्माण खण्ड-8, मेरठ मो० सं० 8795810062	<b>श्री अशोक कुमार</b> निर्माण खण्ड-5, मेरठ मो० सं० 8795810096	<b>श्री उमेश शिवरत</b> द्वितीय वृत्त, मेरठ मो० सं० 8795810023
<b>श्री केशव राम</b> मो० सं० 8795811052 सम्पत्ति प्रबन्धक, मेरठ। दूरभाष : 0121-2762011		<b>सुखदेव आवास अनुवृत्त,</b> मेरठ जौन, मेरठ दूरभाष : 0121-2760415	

# भागीरथी

एकलेख

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या -11, मेरठ



लोकेशन मैप

# भागीरथी

एल्कलैव

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या -11, मेरठ



- F 32
- F 57
- F 64
- जागृति विहार (विस्तार) योजना सं0-11



मूल्य ₹ 300.00 (286.00+ 14.00 वैट)



**उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद**  
**U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD**  
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001  
Website : <http://www.uphdp.com>, E-mail: [uphdp@sancharnet.in](mailto:uphdp@sancharnet.in)